BEFORE THE HON'BLE BOARD OF REVENUE, M.P. GWALIOR

Appeal/Revision No.

Kedia Castle Delleon Industries Ltd,.
Kedianagar,P.O.Kumhari,Dist.Durg (C.G).

V/s

State of Madhya Pradesh

(Through : The Excise Commissioner,M.P.Gwalior)

27 MAY 2005

(Appeal/Revison under Section 62(2) © read with (m) Appeals and Revision Rules of M.P. Excise Act,1915 against the Order passed in the Appeal No 05/1998-99 on 28.4.2005 by the Excise Commissioner,M.P.Gwalior (passed in the Excess Transit Wastage case of Rewa District (Permit No.506 dated 1.11.1997).

The above named appellant begs to submit this Revision/Appeal on the following facts and grounds:-

FACTS

That the appellant was the supply contractor of Country Liquor of Rewa Supply Area during the year 1997-98. In this year a consignment of O.P. Spirit was sent from the appellant's distillery situated at Khapri,Kumhari Dist.Durg to Rewa Warehouse of District vide Permit No.506 dtd 1.11.1998.

On reaching the distination this consignment was verified at the Warehouse by the Warehouse Officer, Rewa, when excess transit wastage of 465.6 P.L was said have been noticed. For this short found O. P. Spirit initially the learned Dy. Commissioner, Excise, Rewa served the appellant a show cause notice and subsequently disagreeing with the reply No.KCDIL/Wh/98/8350 dtd 9.3.95, filed by the appellant, imposed a penalty of Rs4.650/= on the appellant vide order No. 437 dtd 7.4.98. Being aggrieved by this order of the learned Dy. Commissioner, Excise, Rewa an appeal was filed by the appellant to the Excise Commissioner,M.P.Gwalior.M.P

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 756–तीन/2005 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर के प्र0क्र0 05/अपील/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 28.04.2005 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । प्रकरण में उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को देखते हुये यह पाया जाता है कि आसवक द्वारा मार्गहानि परिलक्षित हुई है, यह स्पष्ट है कि इस प्रकरण में न तो कोई ड्यूटी की वसूली की जा रही और न ही इंडियन कान्ट्रेक्ट एक्ट की धारा–74 के अंतर्गत किसी राशि की वसूली की जा रही है । मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 के अंतर्गत निर्धारित सीमा से	

अधिक मार्गहानि पाई जाने पर रुपये 30/– प्रति प्र.लि. तक की दर से शास्ति अधिरोपण नियम 8(4) में प्रावधानित है । प्रकरण में मैसर्स सुनीता लेबोरेट्रीज विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन, 1972 एम.पी.एल.जे./565 के दृष्टांत में शास्ति न लगाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं है । चूँकि आसवक ने अपने उत्तर में अधिक मार्गहानि के संबंध में कोई ठोस समाधानकारक कारण नहीं बताये है, जिससे यह सिद्ध हो कि प्रश्नाधीन मार्गहानि में उसका कोई दोष नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995 के नियम 8(4) के अनुसार विधिसम्मत रूप से प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण निहित नहीं है ।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय आबकारी आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2005 यथावत रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य